भूमि विवाद को ले दो पक्षों के बीच हुई भिड़ंत,एक की गयी जान



बेगूसराय(आससे)। जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जहां सिंघौल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर पछियारी टोला, वार्ड नंबर पांच में दर्जनों की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने एक घर में घुसकर जमकर मारपीट की। इस घटना में ६० वर्षीय नाथो सिंह निषाद की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के अनुसार करीब ४० से ५० की संख्या में आए हमलावरों ने सुबह लगभग ९ बजे अचानक हमला कर दिया। मारपीट में दिनेश सिंह, सज्जन कुमार और विकास कुमार सहित अन्य लोग घायल हुए हैं। दिनेश कुमार निषाद को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की एक महिला के हाथ टूटने और गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। परिजनों ने करीब १० घरों में लूटपाट, दो मोटरसाइकिल और तीन से चार साइकिलों में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पिछले तीन वर्षों से जमीन विवाद चल रहा है, और मामला जिला न्यायालय में भी लंबित है। परिजनों ने पुरानी चुनावी रंजिश को भी इस हमले की वजह बताया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुट गई है। वहीं बुजुर्ग की मौत के बाद इलाके में तनाव और परिजनों में भारी आक्रोश का माहौल है।

डीएम के आदेश से जिले के १२ प्रतिष्ठानों पर की गयी छापेमारी

बेगूसराय (आससे)। आगामी पर्वों के मद्देनजर आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी, बेगूसराय रिची पांडेय के निर्देश पर जिले के विभिन्न अनुमंडलों में होटलों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री की जांच की गई। इस दौरान खाद्य निरीक्षक डॉ. संजय चौधरी द्वारा विभिन्न होटलों में उपलब्ध खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई तथा कुल १२ प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु पटना स्थित प्रयोगशाला भेजे गए। खाद्य निरीक्षक ने बताया कि जांच अभियान के तहत बेगूसराय के २, बलिया के ५ तथा बरौनी के ३ प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के नमूने भेजे गए हैं। नमूनों की प्रयोगशाला में जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पट खुलते ही काली मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़



बलिया (आससे)। बलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नौरंगा दियारा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां काली पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भव्य प्रतिमा स्थापित कर मां काली की पूजा-अर्चना की गई। मंदिर का पट खुलते ही दर्शन एवं पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा के दौरान मुख्य यजमान के रूप में प्रखंड प्रमुख ममता देवी एवं पंचायत समिति सदस्य प्रमुख प्रतिनिधि सुभाष राय शामिल रहे। पूजनोत्सव के अवसर पर कमेटी द्वारा तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। कमेटी के सचिव दीपक कुमार राय ने बताया कि मेले में बच्चों के लिए झूला, मीना बाजार तथा मिठाइयों की दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को पितृशोक, शिक्षक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

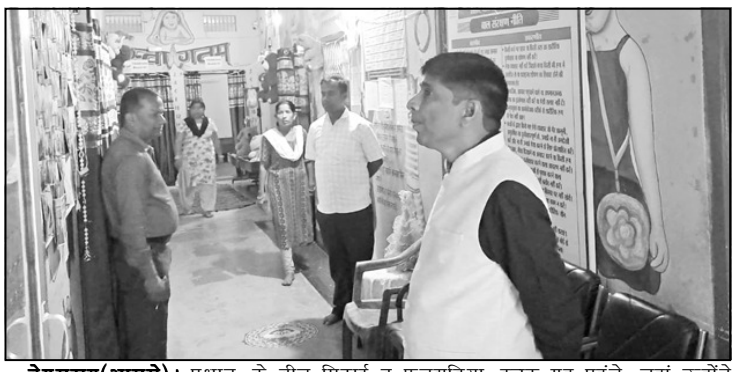
बेगूसराय शि०प्र० (आससे)। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने जिला पदाधिकारी मनोज कुमार के ८० वर्षीय पिता समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्राधीन भुसवर गांव निवासी ननकी बैठा के निधन पर गहरी संवेदन प्रकट की है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधान पार्षद डॉ. सुरेश प्रसाद राय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। शोक व्यक्त व्यक्त करते हुए डॉ. राय ने कहा कि उनका निधन बहुत हीं पीड़ादायक है। वे एक मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। ईश्वर मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार सहित पूरे परिवार को इस असहय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। शोक व्यक्त करने वालों में जिला माध्यमिक शिक्षक संघ, बेगूसराय के अध्यक्ष उमानंद चौधरी, उपाध्यक्ष भगीरथ प्रसाद राय, मंजू सिंह, जिला सचिव रणजीत कुमार, शिक्षक नेता डॉ. सुदर्शन कुमार, फैजुर रहमान, डॉ. अर्चना, गणेश झा, सुशील कुमार चौधरी, अपूर्व घोष, कंचन कुमारी, शिक्षक नेता मो सलीम उद्दीन, सचिव सधीर सिंह, सचिव डॉ. मुकेश कुमार, साकेत रंजन भारती, बेगूसराय अनुमंडल सचिव अरविंद कुमार, नगर सचिव अरुण कुमार, राजकुमार सहित संघ सभी पदाधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है।

कृषि विभाग की बड़ी कारवाई में ७ सौ बोड़ा नकली खाद जब्त



बेगूसराय (आससे)। जिले में अवैध एवं नकली उर्वरक के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग की टीम ने साहेबपुर कमाल प्रखंड में बड़ी छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर बेगूसराय-खगड़िया सीमा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-३१ के निकट हिरातोल एवं रघुनाथपुर करारी इलाके में अवैध रूप से डीएपी, पोटाश सहित अन्य उर्वरकों के निर्माण एवं भंडारण की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार सहित कृषि विभाग की पूरी टीम पुलिस बल एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ मौके पर पहुंची। जांच के दौरान संबंधित परिसर में ताला बंद पाया गया, जिसे विधिसम्मत कार्रवाई के तहत खुलवाकर सघन जांच की गई। छापेमारी के दौरान मौके से लगभग ७०० बोरा अवैध उर्वरक, ५ किलोग्राम के ५०० बोरा जिंक, ३०० खाली बोरा तथा उर्वरक निर्माण एवं पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले रंग सहित अन्य सामग्री बड़ी मात्रा में जब्त की गई। जब्त उर्वरकों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, ताकि उनकी गुणवत्ता एवं वास्तविक प्रकृति का पता लगाया जा सके। इस मामले में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। साथ ही, मामले की गहन जांच करते हुए अवैध उर्वरक निर्माण एवं भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने इस कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बलिया बिपिन कुमार एवं साहेबपुर कमाल की पूरी कृषि टीम के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें विशेष धन्यवाद दिया। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने तथा नकली एवं अवैध उर्वरक के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा अभियान आगे भी जारी रहेगा।

प्रधान जिला जज ने किया दत्तक गृह का निरीक्षण



बेगूसराय(आससे)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने दीपावली के मौके पर शहर के पोखरिया स्थित दत्तक गृह केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान जिला जज ने दत्तक गृह केंद्र के बच्चों के बीच मिठाई व फुलझड़िया बांटी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय ऋषिकांत एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार करूणानिधि प्रसाद आर्य पोखरिया स्थित दत्तक गृह पहुंचे, जहां उन्होंने दत्तक गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में वहां कई खामियां पाई गईं। वहां रह रहे बच्चों की देखभाल में कमी और सुविधाओं का अभाव पाया गया। बच्चों के लिए बनाए जा रहे भोजन समय अनुसार उन्हें नहीं दिया जा रहा था। साथ ही साथ साफ-सफाई की भी कमी पाई गई। वहीं उपस्थिति पंजी एवं अन्य अभिलेखों में भी कई खामियां पाई गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देश। इस पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऋषिकांत ने वहां उपस्थित प्रभारी अधीक्षक किरण कुमारी एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी को आवश्यक दिशा एवं निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अविलंब सारी कमियों को दूर किया जाए, क्योंकि यहां वैसे बच्चे रह रहे हैं जो बेसहारा हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है और उनकी देखरेख में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अविलंब सारे दिक्कतों को दूर कर सुचारू रूप से सारी व्यवस्था करने का दिशा एवं निर्देश दिया।

पूर्व मध्य रेल
ई. निविदा सूचना
ई-निविदा नोटिस सं०-07 ऑफ 2026-27/ खुला/गति शक्ति इकाई, डीडीयू

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/ आरएसपी/ महेन्द्रू घाट एवं भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से अनुभवी तथा वित्तीय एवं तकनीकि दृष्टि से सक्षम ठेकेदारों के साथ-साथ उन ठेकेदारों से जो रेलवे, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में सूचीबद्ध है, निम्नलिखित कार्य के लिए ऑन लाईन (ई-निविदा) आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं०-07-डीडीयू- उप मुख्य परियोजना प्रबंधक- गति शक्ति इकाई - 26-27, कार्य का नाम एवं लोकेशन : पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल के गतिशक्ति यूनिट के अंतर्गत AUBR, GAYA, IMGE एवं SEB स्टेशनों के माल गोदामों (Goods Sheds) में पहुँच मार्ग के उन्नयन, प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रावधान एवं ग्राहक सुविधाओं के विकास से संबंधित सिविल इंजीनियरिंग कार्यों का शेष कार्य। **कार्य की अनुमानित लागत :** ₹ 102577847.18, **धरोहर राशि :** ₹ 2051600.00, **ई-निविदा हेतु बोली की तिथि एवं समय:** 27.11.2026 को 15:00 बजे तक। **वेबसाईट पर ई-निविदा की विस्तृत जानकारी :** www.ireps.gov.in **नोट :** विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी, महेन्द्रू घाट, पटना

पीआर/1284/डीओएफ-नीएस0/सीओएनसरी/टी/26-27/40

पूर्व मध्य रेल
ई-निविदा सूचना
ई-निविदा सं.- सीआरडब्ल्यु-एचआरटी-एम-सीओएनमीटी-बीटी-16-2 दिनांक: 05.11.2026

उप मुख्य यांत्रिक अभियंता, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई-निविदा (दो पैकेट प्रणाली) आमंत्रित की जाती है।

1. कार्य का नाम एवं स्थान : सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत एवं पूर्व मध्य रेल के विभिन्न कोचिंग डिपो में "वर्गाकार बायो-टॉयलेट को ट्रेपेजॉइडल (समलंब) आकार के बायो-टॉयलेट में बदलने के काम के लिए मैकेनिकल गतिविधियों की आउटसोर्सिंग का कार्य। **2. कार्य के लिए प्राक्कलित राशि :** रू. 26,05,33,636.48/- (रू. छब्बीस करोड़ पाँच लाख तेतीस हजार छः सौ छतीस एवं अड़तालीस पैसे मात्र)। **3. निविदा प्रपत्र की राशि :** शून्य, **4. अग्रधन की राशि :** रू. 52,10,700.00 (रू. बावन लाख दस हजार सात सौ मात्र)। **5. निविदा कागजात जमा करने की एवं निविदा खुलने की तिथि एवं समय :** निविदा ऑन लाइन https://www.ireps.gov.in वेबसाईट पर प्रस्तुत की जानी है। निविदादाताओं द्वारा निर्धारित तिथि 25.11.2026 को 11:00 बजे तक निविदा प्रस्तुत कर दी जाय एवं उसी दिन 11:15 बजे निविदा खोली जायेगी। **5. वेबसाइट का विवरण एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहां निविदा का पूर्ण विवरण इत्यादि देखा जा सकता है :** निविदा सूचना पात्रता मान दंड तथा निविदा प्रलेख क्रिस के वेबसाईट CRIS website: https://www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है एवं सूचना की पूर्ण जानकारी के लिए मुख्य कारखाना प्रबंधक का कार्यालय, प्रशासनिक भवन, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत, नालंदा, बिहार-803110 के नोटिस बोर्ड में देखें। यदि जरूरी हुआ तो शुद्धि पत्र वेबसाइट पर अपलोड होगा।

उप मुख्य यौंत्रिक अभियंता, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत

पीआर/1285/एचआरटी/एमईसीएच/टी/26-27/48

विधायक ने किया एनडीए कार्यकर्त्ताओं को सम्मानित

छौड़ाही (आससे)। प्रखंड अंतर्गत बखड़ा स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल प्रांगण में सोमवार को भाजपा छौड़ाही दक्षिणी मंडल की मासिक बैठक आयोजित की गई। मंडल अध्यक्ष शंकर कुमार यादव की अध्यक्षता में दीपावली के शुभ अवसर पर एनडीए कार्यकर्ताओं को मिठाई एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा जिला प्रवक्ता संजीव कुमार यादव, मंडल महामंत्री अतुल कुमार गुप्ता, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष आलोक कुमार के साथ ही जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और लोजपा (रा) प्रखंड अध्यक्ष कैलाश पासवान समेत अन्य एनडीए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चेरियाबरियारपुर विधायक अभिषेक आनंद ने सभी कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मौके पर जदयू नेता डॉ. उमेश प्रसाद, फुलेना साहु, राजू कुमार, घनघोर राय, कपिल कुमार, विनय कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे।

शाम्हों की काली मेला का सैकड़ों वर्षो का है इतिहास,चकबार सम्राज्य के संस्थापक बख्तावर सिंह ने की थी पूजा की शुरूआत

शाम्हों (आससे)। चकवार सम्राज्य के संस्थापक बख्तावर सिंह के कार्यकाल से शाम्हों में शुरू हुआ मां काली की मूर्ति की पूजा, जो आज सैकड़ों वर्षो से जारी है। कहते है कि सत्यारा (मंझौल) से चेवारा (सिकंदरा-शेखपुरा) तक के सम्राज्य विस्तार के बाद, चकबार वंश के प्रतापी राजा बख्तावर सिंह शाम्हों को राजधानी के रूप में स्थापित किया है। इस सम्राज्य विस्तार के बाद चकबार सम्राज्य के संस्थापक कलकत्ता से मशहूर मूर्तिकार को बुलाकर मां काली की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की शुरूआत। तबसे ही शाम्हों में तीन दिनों का काली मेला की शुरूआत हुई। पुराने लोग बताते है कि कलकत्ता के बाद शाम्हों में ही काली प्रतिमा स्थापित होती थी। यह आयोजन दीपावली की मध्य रात्रि से प्रारंभ होने की परम्परा रही है। इसी कड़ी में रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि कल्याण सिंह प्लस टू विद्यालय शाम्हो और टोटहा गांव में स्थापित मां काली की भव्य प्रतिमाओं के पट मंत्रोच्चार, गाजे-बाजे और घंटे-घड़ियों की गूंज के बीच श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए



गए। स्तुति गायन के बीच माता के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर भक्त भाव-विभोर हो उठे। सोमवार सुबह से ही महिलाओं द्वारा खोइछा भरने को लेकर पूजा पंडालों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में बड़े-बड़े झूले, मनिहारी, चाट-पकौड़े और पारंपरिक मिठाइयों की दुकानों से पूरा इलाका गुलजार है। अघोरी साधु ने रखी थी नींव, कभी ढाका तक चलते थे पानी के जहाज शाम्हो में काली पूजा की शुरूआत को लेकर टोटहा गांव निवासी ७७ वर्षीय राजेश्वर प्रसाद सिंह बताते हैं कि बुजुर्गों के अनुसार सन १८०० से १९६६ तक शाम्हो को शमनी कलकत्ताश के नाम से जाना जाता था। यहां का बाजार इतना समृद्ध था कि जो सामान कलकत्ता के अलावा आसपास कहीं नहीं मिलता था, वह शाम्हो में आसानी से उपलब्ध हो जाता था। यहां ५२ जातियों के लिए अलग-अलग टोले बसे थे और शाम्हो डीह के दक्षिण स्थित गंगा तट (बंदरगाह) से ढाका (वर्तमान बांग्लादेश) के लिए पानी के जहाज चला करते थे। इसी तट पर एक अघोरी साधु के आगमन के बाद मां काली की पूजा शुरू हुई। उस दौर में यहां कुंभ जैसा जनसैलाब उमड़ता था। साल १९६६ में भीषण गंगा कटाव के चलते शाम्हो बाजार और डीह का अस्तित्व विलीन हो गया। इसके बाद १९७० में डीह के शेष भाग में, १९७१ में सरलाही और १९७२ से टोटहा गांव में यह परंपरा अनवरत जारी है। समय के साथ कमजोर पड़ा अखाड़े का रोमांच, नाटक की जगह आर्केस्ट्रा ने ली स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि मां काली सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी करती हैं। पहले मन्नत पूरी होने पर बलि प्रथा का भी विशेष प्रचलन था, जो अब लगभग समाप्त हो चुका है।

निर्वाण दिवस पर याद आये आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती

बरौनी (आससे)। आर्य समाज के संस्थापक, समाज सुधारक एवं महान चिंतक ऋषि दयानंद सरस्वती के निर्माण दिवस पर रविवार को याद किया गया। अभेदानन्दं आश्रम बारो में वैदिक यज्ञ का आयोजन हुआ। प्रधान शिवजी आर्य, रविन्द्र आर्य ने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के रचयिता स्वामी दयानंद ने दीपावली के दिन ही अपना शरीर त्याग किया था। पाखंड से ग्रसित समाज को वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों



का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने महिला शिक्षा एवं समानता का समर्थन किया। जातिगत भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया और वैदिक ज्ञान एवं शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया। लोगों ने महान समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक एवं वैदिक संस्कृति के प्रखर प्रवक्ता महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका जीवन सत्य, शिक्षा, समानता और सामाजिक जागरण की प्रेरणा देता रहेगा। मौके पर आचार्य राघवेंद्र आर्य, आचार्य अरुण प्रकाश आर्य, गोविंद आर्य, कन्हैया सिंह, सुधीर आर्य, रजनीश कुमार, राजेंद्र आर्य, धर्मेंद्र आर्य, संतोष आर्य आदि ने भी विचार रखे।

सिहमा के पूर्व सरपंच को दी गयी श्रद्धांजलि

मटिहानी(आससे)। सिहमा दक्षिणी पंचायत के पूर्व सरपंच व सामाजिक कार्यकर्त्ता भासो सिंह की निधन की खबर से सम्पूर्ण सिहमा गांव में शोक की लहर व्याप्त हो गयी। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए योगेन्द्र पुस्तकालय सिहम में श्रद्धांजलि सभा हुई। अध्यक्षता रामनंदन सिंह ने की। मौके पर पुस्तकालय के मुख्य संरक्षक अनिल कुमार अंजान ने उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो इस समाज के दधीचि ऋषि थे। १९७८ में सिहमा दक्षिणी पंचायत का कामरेड योगेंद्र प्रसाद सिंह मुखिया बने और भासो सिंह को सरपंच बनाया गया। उस दौर में बाघ और बकरी दोनों एक घाट में पानी पीता था। घरों में ताला नहीं लगाया जाता था। राम राज्य के रूप में यहां के लोग कामरेड योगी राज को याद करते हैं। जिसमें आपकी भूमिका भी अविस्मरणीय है। दियारा जैसे उलझे हुए भूभाग पर अपना भू स्वामित्व सत्यापित कर समाज को आपने बड़ा तोहफा दिया। सभा में अन्य लोगों के अलावे जिला पार्षद झूना सिंह, सरपंच सुरेश सिंह, पुस्तकालय सचिव कृष्णानंद सिंह, पैक्स अध्यक्ष परितोष कुमार, अवधेश सिंह, ग्राम विकास कमेटी के अध्यक्ष पूर्णेन्दु कुमार, पूर्व मुखिया संजीव कुमार सिंह, ललन सिंह, पूर्व पैक्ष अध्यक्ष रामचंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, समाजसेवी प्रोफेसर अरविंद कुमार, आदि ने भी अपना उदगार व्यक्त किया।

वर्गीकृत

Name Change

I, hitherto known as Mohammad Fakruddin (Old Name) Son of Md Iftekhar Ahmad (father name) residing at Mahesh Asthan P.O.-Ratwara Bindwara, P.S.-Aurai Distt.-Muzaffarpur (Residential address) have changed my name and shall hereafter be known as Mohammad Fakhruddin (New Name). It is certified that I have complied with name and legal requirements in this connection.

नाम परिवर्तन

मैं, अविनाश कुमार शर्मा, पुत्र अम्बिका प्रसाद शर्मा, निवास-बिग्रहपुर बस स्टैण्ड के पास, पटना-800001 शपथ पत्र सं. 94 ता. 30.10.26 द्वारा यह घोषणा करता हूं कि अविनाश कुमार शर्मा एवं अविनाश कुमार दोनों नाम मेरा ही है। मैं इन दोनों नामो से जाना एवं पहचाना जाता हूं। मेरा ICICI Bond No. 4325858 है।
CM-07812

Affidavit

I, RAJENDRA KUMAR, S/o – RAM EKBAL SINGH, R/o – Rewai, Mau, Gaya, Bihar – 824235. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (ASHISH RANJAN) Aadhaar card his name is mentioned as PRINCE KUMAR. But, in his educational documents of class 10th (CBSE) and in intermediate (BSEB) his name is mentioned as ASHISH RANJAN. Here, both the names PRINCE KUMAR and ASHISH RANJAN belong to the names of my same son. And, from now in his future he will be known as ASHISH RANJAN for all his legal purposes. Affidavit no. – 10 Date: - 16/10/2026.

Name Change

I, AMARJEET KUMAR, S/o – LATE RAM SUNDAR SHARMA, R/o – Vill – Mirzapur, P.S. - Didarganj, P.O. – Rukunpur, Rukunpura, Fatuha, Patna, Bihar – 803201. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (HARSHIT RAJ) birth certificate as well as in his school his name is mentioned as HARSHIT RAJ. But, in his Aadhaar card his name is mentioned as ARMAN RAJ. And, from now in his future he will be known as HARSHIT RAJ for all his legal purposes. Affidavit no. – 4492 Date: - 12/10/2026 .

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वतः जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।
प्रबंधक

शपथ पत्र

मैं, सौरभ विजय, पिता-रामानंद पासवान, निवास-ग्राम-सैदपुर, पो.-करौटा, थाना-सालिमपुर, जिला-पटना (बिहार)-803202, शपथ पत्र सं.-621 ता. 3.10.26 द्वारा यह घोषणा करता हूं कि आधार कार्ड में मेरा नाम सौरभ विजय है लेकिन मेरे मार्कशीट में मेरा नाम मनिकेश कुमार है, जो सही है। अब मैं मनिकेश कुमार के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा।

शपथ पत्र

मैं, विनीत कुमार उर्फ विनोद कुमार, पिता जयप्रकाश सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम छतवारा खाशपट्टी माधोपुर निझमा, जिला वैशाली, बिहार, शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरे आधार कार्ड में नाम विनोद कुमार तथा मतदाता पहचान पत्र एवं विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र में नाम विनीत कुमार अंकित है। दोनों नाम मेरे ही हैं और मैं एक ही व्यक्ति हूं। आधार कार्ड में यह अंतर त्रुटिवश है। यह शपथपत्र संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु बनाया गया है।

Name Change

I, AMIT KUMAR BHARTI, S/o – PAWAN KUMAR MANDAL, R/o – Village – Mahuar, katihar, Bihar - 854116. Do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter's (ISHIKA BHARTI) Aadhaar card her name is mentioned as BHAVPRITA KUMARI. But, in her birth certificate as well as in her school her name is mentioned as ISHIKA BHARTI. Here, both the names belong to the names of my same daughter. And, from now in her future she will be known as ISHIKA BHARTI for all her legal purposes. Affidavit no. – 09 Date : - 26/10/2026.

Affidavit

I, PRAMOD NANDAN PRASAD, S/o – SURYANANDAN PRASAD, R/o – Near S B School, Maula Bagh, Ara, Bhojpur, Arrah, Bihar – 802301. Do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter's (PRISHA KUMARI) Aadhaar card her name is mentioned as RUNJHUN KUMARI. But, in her birth certificate as well as in her school her name is mentioned as PRISHA KUMARI. Here, both the names belong to the names of my same daughter. And, from now in her future she will be known as PRISHA KUMARI for all her legal purposes. Affidavit No. – 59604 Date: - 28/10/2026.

AFFIDAVIT

I, SHAJDI RANGREJ D/o SULEMAN W/o MD.YUNUS NAYEEM R/o Almijan Nagar, Nohsa, Phulwari Sharif, Phulwari, PO: Phulwarisharif, DIST: Patna, Bihar - 801505, have changed the name of my minor daughter RANI PRAVEEN aged 16 years and she shall hereafter be known as RANI PRATHAM RANGREJ, I have changed only her name, not her religion.

शपथ पत्र

मैं, रणविजय कुमार सिंह पिता स्व. बालेश्वर प्रसाद सिंह, स्थायी पता-ग्राम + पोस्ट-शंभूपट्टी, थाना- समस्तीपुर (नया कर्पूरी ग्राम), जिला-समस्तीपुर, पिन-848129 (बिहार), वर्तमान पता राजीव नगर, रोड नं.- 25ए, थाना- राजीव नगर, जिला पटना, पिन 800024, बिहार का निवासी हूँ शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम 'उज्जवल' अंकित है, अब मैं अपने पुत्र 'उज्जवल' के नाम में अपना सरनेम 'सिंह' अंकित करवाना चाहता हूं। अब से मेरा पुत्र 'उज्जवल' के जगह पर 'उज्जवल सिंह' के नाम से जाना व पहचाना जायेगा। Afdt no-3695 Date-05.11.2026

NAME CHANGE

I, SANGITA KUMARI (संगीता कुमार), D/o–YAMUNA YADAV, R/o–Vill–Kamal Pipra, Ward No. – 02, P.O.–Nauwadih, P.S.–Pahadpur, Dist.–East Champaran, Bihar - 845458. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar card my name is mentioned as SANGITA YADAV (संगीता यादव). But, in my birth certificate as well as in my School leaving certificate my name is mentioned as SANGITA KUMARI (संगीता कुमार). Here, both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as SANGITA KUMARI (संगीता कुमार) for all my legal purposes. Affidavit no. – 6928 Date: - 07/11/2026

गोली-पिस्तौल के साथ दो धराये

छौड़ाही(आससे)। छौड़ाही थाना पुलिस को रविवार रात बड़ी सफलता हाथ लगी है। रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने अवैध हथियार के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष परेन्द्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बेंगा गांव में छापेमारी की गई। मौके से दो युवकों को धर दबोचा गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान विकास कुमार, पिता रामानंद दास, गांव हरकपुरा, थाना गढ़पुरा और पिंकेश कुमार, पिता विश्वेश्वर दास, गांव नरूल्लाहपुर, थाना खोदावंदपुर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी है।

वारंटी गया जेल

वीरपुर(आससे)। सोमवार को पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राजू कुमार रंजन ने बताया है कि थाना कांड संख्या १२५/२६का नामजद अभियुक्त वीरपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या ८ निवासी स्व लक्खन सहनी का पुत्र रामाधार सहनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में सुपूर्द कर दिया गया।

जयपुर-आसनसोल-जयपुर स्पेशल ट्रेन

उत्सव के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए, 09719/09720 **जयपुर-आसनसोल-जयपुर** स्पेशल ट्रेन निम्नलिखित संक्षिप्त समयसूची, ठहराव, आवागमन की तिथियों और गठन के अनुसार चलेगी:-

जयपुर-आसनसोल			(09719) (09720)	आसनसोल-जयपुर		
तिथि	आ.	प्र.	स्टेशन	आ.	प्र.	तिथि
07.11.26	–	12.45	जयपुर	03.30	–	10.11.26
	18.40	18.42	टूण्डला	20.55	21.00	
	09.00	09.10	पटना	05.10	05.20	09.11.26
08.11.26	11.55	11.57	किऊल	01.18	01.20	
	14.58	15.00	जसीडीह	23.18	23.20	
	18.30	–	आसनसोल	–	21.00	08.11.26

उपर्युक्त स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में मार्ग में गांधीनगर जयपुर, दौसा, बाँदीकुई, भरतपुर, ईदगाह आगरा, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, बख्तियारपुर, मोकामा, झाझा, मधुपुर और चितरंजन रेलवे स्टेशनों पर भी रुकेंगी। **चलने का दिन/तिथि: जयपुर से** -09719 दिनांक 07/11/2026 (शनिवार) को = 01 ट्रिप और **आसनसोल से**-09720 दिनांक 08/11/2026 (रविवार) को = 01 ट्रिप। **गठन:** एसी 2 टियर-02, एसी 3 टियर-08, शयनयान श्रेणी-05, साधारण द्वितीय श्रेणी (जीएस) - 02 और एसएलआरडी-02 = 19 कोच। **कैटेगरी:** मेल/एक्सप्रेस।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे